XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 09.09.2011 | **न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ**<br>**राजस्व विविध वाद संख्या–198 / 10**<br>**बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)**<br>पुनिया देवी, पिता–स्व0 लगड़ू उरांव, पति–श्याम लाल उरांव उर्फ कुसुम लाल उरांव, साकिन–हाजीरगंज, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ.....<br>आवेदिका<br><br>बनाम्<br><br>बिहार सरकार<br><br>**आदेश**<br><br>यह विविध वाद आवेदिका द्वारा अपनी पुत्री की शादी करने हेतु मौजा–अब्दूल्लानगर, थाना नं0–100 / 1, आर0एस0 खाता नं0–142, आर0एस0 खेसरा नं0–403, 404, 406 में से कुल रकवा–0.63 एकड़ जमीन बिक्री करने के लिये बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत अनुमति हेतु दायर किया गया है।<br>इस संबंध में आवेदिका द्वारा वर्णित है कि प्रश्नगत जमीन पर अपने पिता के मृत्यु के उपरान्त वे दखलकार है तथा लगान रसीद भी कटाता आ रहा है। लड़की की शादी में रूपये की आवश्यकता है। जमीन बिक्री करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है।<br>अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक 272, दिनांक 15.02.2011 द्वारा प्रतिवेदित किये है कि वर्णित जमीन वाचा टुईया उरांव, पिता–स्व0 राधे उरांव, साकिन–हाजीरगंज के नाम से दर्ज है। टुईया उरांव के पिता राधे उरांव को दो पुत्र क्रमशः टुईया उरांव एवं लंगड़ू उरांव था। दोनों भाईयों की मृत्यु हो चुकी है तथा टुईया उरांव का कोई वारिस नहीं है। लंगड़ू उरांव की मात्र एक पुत्री पुनिया देवी (आवेदिका) है, जो स्व0 टुईया उरांव के सम्पत्ति का एक मात्र उत्तराधिकारी है।<br><br>**प्रश्नगत जमीन का विवरणी निम्न प्रकार है :–** | |

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अब्दूल्लानगर | 100 / 1 | 142 | 403 | 0.77 |
| | | | 404 | 0.12 |
| | | | 406 | 0.04 |
| | | | **कुल रकवा** | **0.93** |

XIV-Form No. 563.

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

ब्रिकी की जानेवाली जमीन का विवरणी :–

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अब्दूल्लानगर | 100/1 | 142 | 403 | 0.47 |
| | | | 404 | 0.12 |
| | | | 406 | 0.04 |
| | | | कुल रकवा | 0.63 |

साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन के अतिरिक्त मौजा–लालगंज, थाना नं0–109, खाता नं0–972, खेसरा नं0–74, रकवा–1.00 (एक) एकड़ जमीन आवेदिका के पति श्याम लाल उरांव उर्फ कुसुम लाल उरांव को बन्दोवसती वाद संख्या–33/87–88 से प्राप्त है। इस प्रकार प्रश्नगत जमीन बिक्री करने के पश्चात आवेदिका के पास 1.30 डिसमिल बच जाता है, जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आती है। प्रश्नगत जमीन आवेदिका के दखल–कब्जा में है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदिका को पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ